

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—प्रत्येक (ii)

PART II—Section (ii)

प्रति आर से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182]

नई दिल्ली, शनिवार 7 अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894

No. 182]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी गई है, कि प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to each part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

1st April 1972

S.O. 249(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and with the sanction of the Government of the State of Punjab, the President hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 452 dated the 3rd June, 1958, namely:—

Amendment

In the Schedule to the said notification, the entry "Punjab" occurring under the heading "States" and the corresponding entry "Delhi; Himachal Pradesh" occurring under the heading "Union territories" shall be omitted.

[No. 17/31/68-SR]

(617)

480
44

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

का० आ० 249(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब राज्य सरकार की सम्मति से भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 452, तारीख 3 जन, 1958 में निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, “राज्य” शीर्ष के नीचे आने वाली “पंजाब” प्रविष्टि और “संघ राज्य क्षेत्र” शीर्ष के नीचे आने वाली “दिल्ली ; हिमाचल प्रदेश” तत्स्थानी प्रविष्टि सुप्त की जायेगी ।

[सं० 17/31/68-एस० आर०]

S.O. 250(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions—

- (a) of the Central Government under sections 4, 5, 17 to 21 and 30 of the Official Trustees Act, 1913 (2 of 1913); and
- (b) of the State Government under sections 3, 4, 24, 41 to 46 and 62 of the Administrators-General Act, 1963 (45 of 1963),

in relation to the said Union territory.

[No. 17/31/68-SR]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

का० आ० 250(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा निदेश देते हैं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, राष्ट्रपति के नियंत्रणधीन रहते हुए और आगे आदेशों तक, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में—

- (क) शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (1913 का 2) की धारा 4, 5, 17 से 21 तक और 30 के अधीन, केन्द्रीय सरकार की ; और

(ख) महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45) की धारा 3, 4, 24, 41 से 46 तक और 62 के अधीन राज्य सरकार की, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा।

[सं० फा० 17/31/68-एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

